



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 29 जुलाई, 2020
श्रावण 7, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 795/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(134)-2020
लखनऊ, 29 जुलाई, 2020

अधिसूचना

प०आ०-516

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की शिफारिशों पर, एतद्वारा अधिसूचना सं०-क०नि०-2-159/ग्यारह-9(47)/17-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश-(107)-2018 दिनांक 31 जनवरी, 2018 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के चौथे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

“परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलम्ब फीस की राशि को उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित महीनों या तिमाही के लिए जावक प्रदाय की विवरणी प्ररूप जीएसटीआर-1 में नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन उक्त विवरणी को उक्त तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत करते हैं, अधित्यक्त करती हैं :-

तालिका

क्र०सं०	माह/ तिमाही	तारीख
1	2	3
1	मार्च, 2020	जुलाई, 2020 का 10वां दिन
2	अप्रैल, 2020	जुलाई, 2020 का 24वां दिन
3	मई, 2020	जुलाई, 2020 का 28वां दिन
4	जून, 2020	अगस्त, 2020 का 5 वां दिन
5	जनवरी से मार्च, 2020	जुलाई, 2020 का 17वां दिन
6	अप्रैल से जून, 2020	अगस्त, 2020 का 3 वां दिन।”

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 795/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(134)-2020, dated July 29, 2020:

No. 795/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(134)-2020

Dated Lucknow, July 29, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification no. KA.NI.-2-159/XI-9(47)/17-U.P.Act-1-2017-Order(107)-2018, dated January 31, 2018 namely:-

IN the said notification, *for* the fourth proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely: -

“Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who fail to furnish the details of outward supplies for the months or quarter mentioned in Column (2) of the Table below in **FORM GSTR-1** by the due date, but furnishes the said details on or before the dates mentioned in Column (3) of the said Table:-

TABLE

Sl. No.	Month/ Quarter	Dates
1	2	3
1	March, 2020	10 th day of July, 2020
2	April, 2020	24 th day of July, 2020
3	May, 2020	28 th day of July, 2020
4	June, 2020	05 th day of August, 2020
5	January to March, 2020	17 th day of July, 2020
6	April to June, 2020	03 rd day of August, 2020.”

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.